

26.05.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नेगी उपस्थित आए।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री मनोज भट्ट एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) श्री अनिल सिंह नेगी उपस्थित आए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 15घ पेश कर कथन किया कि आज बहस की तैयार नहीं हो पायी है, बहस हेतु एक तिथि की प्रार्थना की गयी, जिस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) द्वारा अनापत्ति दर्शित की गयी। स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या- 15घ न्यायहित में स्वीकार कर तिथि मुलतवी की जाती है। शामिल मिश्र हो।

पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 23.06.2023 को पेश हो।

(धनंजय चतुर्वेदी)
जिला न्यायाधीश,
चमोली।